



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या : टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010(VI)

दिनांक : 14 जून, 2016

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
समस्त जनपद।

कृपया झाँसी परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के पत्र संख्या सीओजे-सीसीटीएनएस-2016/5198 दिनांक: 15-05-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें CAS में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उक्त पत्र के माध्यम से ज्ञात समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यवाही विवरण निम्नवत है:-

1. CAS सॉफ्टवेयर में चालानी निरोधात्मक कार्यवाही अभियोगों के निस्तारण /चालान का कोई विकल्प न होने के कारण यह अभियोग लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं एवं लंबित अभियोग छानने में असुविधा उत्पन्न हो रही है।

उत्तर- उक्त समस्या के संबंध में ऑफलाइन में फाइनल रिपोर्ट लगाने पर नीचे दिए गये स्क्रीनशॉट की भांति 'अन्य' विकल्प दे दिया गया है जिसका चयन करने पर टेक्स्ट बॉक्स में फाइनल रिपोर्ट का प्रकार भरा जा सकता है।

अन्य जानकारी		संपत्ति सूचना	
अंतिम प्रपत्र के प्रकार *		अंतिम पत्र	
अंतिम रिपोर्ट के प्रकार *		अन्य	
अन्य			

2. मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों के विवरण की फीडिंग IIF3 (गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण) पर करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कठिनाई हो रही है।

उत्तर- आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त की स्थिति में CASमें द्वारा गिरफ्तार / GD नंबर इत्यादी मानको को आत्मसमर्पण की स्क्रीन में गैर जरूरी कर दिया गया है जिससे अब कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

3. निम्नलिखित स्थिति में संपत्ति की फीडिंग किस प्रारूप में की जायेगी स्पष्ट न होने के कारण कठिनाई आ रही है-

- i. जामा तलाशी में प्राप्त संपत्ति।
- ii. बरामद शराब / शस्त्र / आयुध माल से भरा टूका।
- iii. Cr.PC. 83 के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति।

उत्तर- उक्त डाटा को फीड करने के लिए CAS में GD नम्बर के अनुसार भी संपत्ति जब्ती की जा सकती है जिसके लिए जब्ती मेमो तैयार करते समय नीचे दिये गये चित्र की भांति 'नहीं' का चयन करना है तत्पश्चात जब्ती मेमो GD नंबर के आधार पर की जा सकती है।

